

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17.01.25

आज यह पत्रवाली पेशा हुक्म वसुलाप पक्ष कारण उपा 3-2 सुना गया।

हमने कदम उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की इलाकों में मनन किया व पत्रवाली का वकील अधिवक्ता किया गया तो पता चला कि भूमि का कांड मीटिंग एंड काउन्सिलिंग नहीं हुआ है सदरवाते राल का पक्ष व

इसका पक्ष का उभय माना गया इवाजिव है ऐसी स्थिति में अनारक्षित मुकदमे का जो कहीं बड़े व वायुनी कपे की रजिमा पैदा नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए पत्रवाली पक्ष प्राची रानी का किया जा रहा है जिससे धरती इस काशम की जमीन की जमी

है कि अ. 20 नं. 169 खण्ड 0.9200, 170 खण्ड 0.9500, 171 खण्ड 0.9300 का क्षेत्र में कडा तहसील मुसाव (मरपुर) की उपपक्ष ला फैलाया भूमि वाद रिपोर्ट एवं मोटा की मय उभय पक्ष के समक्ष रखे

निर्णय आज दिनांक 17.01.25 को मेरे द्वारा लिखा जा रहा खुले न्यायालय सुनाया गया।

पत्रवाली को हल सुमार होय (मन्वर से काग से काट तयमिल जाया इतिहास उपा (है)

(राधेश्याम मुरारि)
उपपक्ष उभय पक्ष के
जुलै सुवेर

हुक्म रि. नि. 17.01.25

हमने कदम उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की इलाकों में मनन किया व पत्रवाली का वकील अधिवक्ता किया गया तो पता चला कि भूमि का कांड मीटिंग एंड काउन्सिलिंग नहीं हुआ है सदरवाते राल का पक्ष व इसका पक्ष का उभय माना गया इवाजिव है ऐसी स्थिति में अनारक्षित मुकदमे का जो कहीं बड़े व वायुनी कपे की रजिमा पैदा नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए पत्रवाली पक्ष प्राची रानी का किया जा रहा है जिससे धरती इस काशम की जमीन की जमी है कि अ. 20 नं. 169 खण्ड 0.9200, 170 खण्ड 0.9500, 171 खण्ड 0.9300 का क्षेत्र में कडा तहसील मुसाव (मरपुर) की उपपक्ष ला फैलाया भूमि वाद रिपोर्ट एवं मोटा की मय उभय पक्ष के समक्ष रखे